

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

सुनीता अग्रवाल, प्राध्यापक(समकक्ष प्रधानाचार्य,उमावि) राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, अजमेर जन्मतिथि—०५.०५.१९७८ को निजी विदेश यात्रा हेतु दिनांक—२०.०७.२०१९ से २८.०७.२०१९ तक (०९ दिवस) ब्रिटेन (विदेश) जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अध्यवैन प्रदान की जाती है :-

१. कार्मिक सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात् ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
२. कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं ठहरेंगे, अवकाश समाप्ति पश्चात् अपने कर्तव्य स्थान पर उपस्थिति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात् यदि कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपस्थित रहता है तो उक्त कार्मिक को कर्तव्य से जानबुझकर अनुपस्थित रहा माना जावेगा एवं उसके विरुद्ध आर.एस.आर १९६१ के नियम ८६ के प्रावधानात्तर्त्तर कार्यवाही अमल में लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही ली जावेगी।
३. एक बार में स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं की जावेगी।
४. विदेश से भिजवेगा गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
५. सक्षम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश स्वीकृति से पूर्व निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेंगे :—
 - (i) कार्मिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का राजकीय कार्य/शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा।
 - (ii) कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तांतरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।
 - (iii) कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विचाराधीन नहीं है।
 - (iv) कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई न्यायिक प्रकरण लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
६. विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृत अवकाश अवधि हेतु ही मान्य है।
७. विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व सम्बद्धित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का दृंग पता नहीं लाइल नम्बर आदि सूचित करेंगे।
८. विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनियम नहीं किया जावेगा एवं न ही राजकीय स्त्रोत से विदेशी भुद्वा उपलब्ध करवाई जाएगी।
९. विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
१०. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।
११. विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता अंग नहीं की जावेगी।

(निधमल डिडेल)

आईएससी

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक-शिविर-भा/संस्था/ए-२-७/विदेश यात्रा/२०१९

दिनांक— २५-०६-२०१९

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आदश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

१- शासन उप सचिव, शिक्षा (शुप्त-३), विभाग, राजस्थान जयपुर।

२- संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय, अजमेर।

३- प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, अजमेर।

४- सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को आदेश विभाग की बेबसाईट पर अपलोड हेतु।

५- सुनीता अग्रवाल, प्राध्यापक(समकक्ष प्रधानाचार्य,उमावि) राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, अजमेर।

६- निजी/रक्षित पत्रावली !

सुनीता निदेशक (प्रशिक्षक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर